राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः डीसी/विधि/2017/12 दिनांक :– 16-01-2017

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषयः– प्रकरण सं0 671/2003 सरकार बनाम मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड द्वारा दिनांक 15.12.2016 को पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 15.12.2016 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (45)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (राजस्थान)।
पीठासीन अधिकारी – पवनकुमार वर्मा, R.J.S.
आप0नियमित प्रकरण सं0 671/2003

सरकार जरिये संजय पारीक औषधि निरीक्षक, मुख्यालय झालावाड(राज0)

.....परिवादी

ब ना म

1–मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II, देहली–110042

–जरिये रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स(इण्डिया) लिमिटेड, दिल्ली के निदेशक श्री जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा पुत्र ए0एस0अरोड़ा, निवासी– एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034

2–ए0एस0अरोड़ा पुत्र आत्तारसिंह अरोड़ा, भागीदार, फर्म मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II, देहली–110042, निवास पता–एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034

3–जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा पुत्र ए0एस0अरोड़ा, निदेशक, मैं0रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स(इण्डिया) लिमिटेड, रजि0कार्यालय– बी–4, अराधना भवन, आजादपुर कामर्शिलय कॉम्पलेक्स, दिल्ली–110034, जो कि मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II, देहली की भागीदार फर्म है, निवास पता–एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034

4–जय अम्बे मेडीकल्स, शॉप नं05, पोरवाल कटला, लाडपुरा कोटा(राज0)

–जरिये रमेश कुमार पावा, भागीदार मैं0 जय अम्बे मेडीकल्स, कोटा

5–रमेशकुमार पावा पुत्र टिक्कूराम पावा, भागीदार, मैं0जय अम्बे मेडीकल्स कोटा, निवास पता– 4–न–8, विज्ञान नगर कोटा(राज0)

6–गिरधारीलाल गुरूनानी पुत्र टिकमदास गुरूनानी, भागीदार, मैं0जय अम्बे मेडीकल्स कोटा, निवास पता– 3–क–5, विज्ञान नगर कोटा(राज0)

7–मैसर्स एच0बी0मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास, भोपाल रोड़ अकलेरा, जिला–झालावाड(राज0)

–जरिये मालिक मोहम्मद हुसैन पुत्र इकबाल शाह

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज.)

8–मोहम्मद हुसैन पुत्र इकबाल शाह, **मालिक एवं कॉपीटेंट व्यक्ति,** मैसर्स एच0बी0मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर, अकलेरा, जिला–झालावाड(राज0), निवास पता– द्वारा–मेहबूब शाह कम्पाउण्डर, राजकीय रेफरल चिकित्सालय के पास, अकलेरा, जिला–झालावाड (राज0)................**(मृतक)**

9–बी0के0 भाटी पुत्र बी0एल0भाटी निवासी– सी.बी.36–डी– शालीमार बाग, नई दिल्ली–52 **(पूरक परिवाद–पत्र के अनुसार अभियुक्त सं01निर्माता कं0 द्वारा निर्मित औषधि के मेन्यूफेक्चरी** केमिस्ट)

10–सत्यवानसिंह यादव पुत्र सुखन एस.यादव, निवासी– 75बी, टीचर कॉलोनी समाईपुर बादली, दिल्ली–42**(पूरक परिवाद–पत्र के अनुसार अभियुक्त सं01निर्माता कं0 द्वारा निर्मित औषधि के विश्लेषक केमिस्ट)**

................अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 18a(i), 18(a)(vi)
सपठित धारा 27(c) एवं 27(d)
DRUG AND COSMETICS ACT,1940

उपस्थितः–

1–श्री सहायक लोक अभियोजक राज0सरकार की ओर से।

2–सर्वश्री धीरजसिंह झाला एवं रमेशचंद शर्मा, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 15.12.2016

अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अन्वीक्षा अपराध अन्तर्गत धारा धारा 18a(i), 18(a)(vi) सपठित धारा 27(c) एवं 27(d) DRUG AND COSMETICS ACT,1940 (जिसे इस निर्णय में आगे अधिनियम से सम्बोधित किया जायेगा) के आरोप के तहत की गयी है।

2– दौराने अन्वीक्षा अभियुक्त सं08 मोहम्मद हुसैन दिनांक 27.6.2014 को फौत हो चुका है जिसकी फौती तस्दीक प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.6.2016 को कार्यवाही समाप्त (Drop) की जा

चुकी है, चूंकि अभियुक्त सं07 मैसर्स एच0बी0 मेडीकल स्टोर एक संस्थान है जो प्रकरण में अपने मालिक अभियुक्त सं08 मोहम्मद हुसैन के जरिये अन्वीक्षारत थी, चूंकि अभियुक्त सं08 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त (Drop) की जा चुकी है ऐसे में अभियुक्त सं07 मैसर्स एच0बी0 मेडीकल स्टोर के विरूद्ध भी कार्यवाही समाप्त (Drop) की जाती है।

3— संक्षेप में अभियोजन के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.7.98 को तत्कालीन औषधि निरीक्षक श्री एस0सी0 जैन द्वारा नियमानुसार अभियुक्त सं07 से औषधि —'टेबलेट **एलूप्रोमेट—डी.**, बेच नं0 टी—8020, निर्माण तिथि फरवरी 98, अवधिपार तिथि—जनवरी 2001(जिसे हस्तगत निर्णय में आगे औषधि से सम्बोधित किया जायेगा) जिसकी निर्माता कम्पनी (अभियुक्त सं01) थी, नियमानुसार लिया व मौके पर फर्द रिपोर्ट बनायी गयी। नियमानुसार मौके पर सेम्पलो को सीलचिट कर एक सील्ड सेम्पल नियमानुसार दिनांक 25.7.98 को राजकीय विश्लेषक जयपुर(राज0) को भिजवाया गया जहां से सेम्पल को वापस प्रयोगशाला में कम्पलीट जांच सुविधा नहीं होने से 1.8.98 को लौटा दिया गया इसपर दिनांक 19.8.98 को राजकीय विश्लेषक सी.पी.आई.एल. राजनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) को जांच हेतु भिजवाया गया तो जांच में सेम्पल —"The Sample is spurious in that it gives negative test for oxyphenorium bromide"— कारण से अवमानक कोटि का पाया गया। इसपर अभियुक्त सं07 को उक्त औषधि के क्रय विक्रय के बारे में जवाब मांगा गया तो उसके मालिक अभियुक्त सं08 ने अपने जवाब में बिल नं0 डी0ओ01806 दिनांक 19.5.98 के द्वारा 32X10 टेबलेट की मात्रा में अभियुक्त सं04 से खरीदना बताया जिसको नोटिस दिये जाने पर अभियुक्त सं04 के भागीदार मालिक अभियुक्त सं05 ने बताया कि उक्त औषधि उनके द्वारा अभियुक्त सं01 से खरीदा किया गया है जिसके पदाधिकारी अभियुक्त सं02 से 3 है। इसपर अभियुक्त स01 औषधि निर्माता कं0 को उक्त अमानक औषधि के निर्माण के सम्बंध में

स्पष्टीकरण मांगा गया तथा राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया तथा सूचित किया गया कि इस जांच रिपोर्ट से असहमत है तो न्यायालय के समक्ष अधि0 धारा 25(4) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पुनः जांच करवा सकते है। इस प्रकार उक्त औषधि DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 16(1)(a) के तहत Not of standard quality की व धारा 17(c) के अनुसार Misbranded व 17-B(d)के तहत Spurious drug है। इसप्रकार अभियुक्तगण ने उक्त प्रकार की औषधि का निर्माण,विक्रय वितरण एवं संग्रह किया जो उक्त अधि0 की धारा 18 व उसके परन्तुकों का उल्लंघन होकर धारा 27 व उसके परन्तुकों के तहत दण्डनीय अपराध है। परिवादी ने अपने परिवाद में यह अभिकथन भी किया कि उक्त अवमानक औषधि के निर्माण के लिये और जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम पते उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दिये जावेगें इसपर परिवादी ने बाद में एक पूरक परिवाद–पत्र भी 15.6.02 को पेश कर अभियुक्त बी0के0भाटी व सत्यवानसिंह के विरूद्ध भी उक्त अपराध बाबत् पेश किया गया व उक्त औषधि की निर्माता कं0 अभियुक्त सं01 के मेन्यूफेक्चरी केमिस्ट तथा विश्लेषक केमिस्ट उक्त दोनो अभियुक्तगण(बी0के0 भाटी व सत्यवानसिंह यादव) होने बाबत् परिवादीपक्ष की ओर से गवाह पी0ड01रणवीरसिंह औषधि नियंत्रक विभाग दिल्ली के बयान करवाये गये।

4– प्रकरण में अभियुक्त सं01,2,3 की ओर से न्यायालय में परिवाद पेश होने के उपरांत दिनांक 21.3.2001 को धारा 25(4) के तहत एक प्रा0पत्र प्रस्तुत कर लिये गये सेम्पल की पुनः केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच करवाने का निवेदन किया गया जो न्यायालय के आदेश दिनांक 13.8.2001 के द्वारा, प्रा0पत्र समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने व इस बीच सेम्पल की अवसान तिथि समाप्त हो जाने के कारण अभियुक्तगण का धारा 25(4) का प्रा0पत्र खारिज किया गया।

5— मामले में पूर्व में अभियुक्तगण को सहवनवश उक्त आरोप के आरोप विरचित कर सुनाये समझाये गये थे तथा आरोप से इन्कार करने पर गवाहान पी0ड01रणवीरसिंह, पी0ड02 संजय पारीक, पी0ड03 हरिओम मेहता के बयान लिये जा चुके थे *परन्तु प्रकरण परिवाद पर आधारित वारंट केस होने से इस भूल को दिनांक 7.8.08 को दुरुस्त* किया गया व प्रकरण में वारंट ट्रायल प्रोसीजर अख्तियार किया गया व मामले को चार्जपूर्व साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

6— मामले में चार्ज पूर्व साक्ष्य में गवाह पी0ड01 सुभाषचंद जैन, पी0ड02 विजयकुमार सिंघल, पी0ड03संजय पारीक, पी0ड04 जनकराज भाटियां, पी0ड05 एस0डे0, पी0ड06डी0के0श्रृंगी के बयान करवाये गये।

7— तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस आरोप सुनी जाकर अलग से आदेश पारित कर दिनांक 24.8.12 को अभियुक्तगण को 18a(i), 18(a)(vi) सपठित धारा 27(c) एवं 27(d) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराधों का आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

8-- आरोप सुनाने के उपरांत उक्त परीक्षित गवाहान पी0ड01लगायत 4 से मजीद जिरह करवायी गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज एक्जी0पी01 लगायत 47 को भी प्रदर्शित करवाया गया।

9— अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313द0प्र0सं0 के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया व अभियुक्त सं02 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा ने जाहिर किया कि वे निर्दोष है, वह अभियुक्त कम्पनी मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटीकल्स में भागीदार नहीं है ना ही इसका प्रतिनिधि है। वह मैसर्स रेमीडीज फार्मास्यूटीकल्स(इण्डिया) लि0

का मात्र प्रतिनिधि है। मैसर्स रेमीडीज फार्मास्यूटीकल्स(इण्डिया) लि0को इस प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। उसे विधि विरूद्ध अभियुक्त बनाया है।

इसी प्रकार अभियुक्त सं05 रमेशकुमार पावा व अभियुक्त सं06 गिरधारीलाल ने जाहिर किया कि उन्होने उक्त औषधि, निर्माता कम्पनी से उसके बिल द्वारा खरीदी थी। वे लाईसेंसशुदा थोक विक्रेता है। उन्होने यह दवाई लाईसेंसशुदा मैसर्स ए0बी0 मेडीकल अकलेरा को बेची थी। उसने जिस हालत में दवाई खरीदी थी उसी हालत में बेची थी। वे निर्दोष है।

अभियुक्त सं08 मोहम्मद हुसैन ने जाहिर किया कि वह लाईसेंसशुदा दवाई विक्रेता है। उसने यह दवाई लाईसेंसशुदा दवा विक्रेता जय अम्बे मेडीकल्स कोटा से बिल द्वारा खरीदी थी। उसने जिस हालत में दवाई खरीदी थी उसी हालत में बेची थी। वह निर्दोष है।

अभियुक्त सं09 बसंतकुमार भाटी ने जाहिर किया कि वह उक्त दवा के निर्माण के समय निर्माता केमिस्ट नहीं था। अभियोग दायर करने से पहले उसे कोई नोटिस या राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई। उसे दिनांक 15.6.02 को दवाई की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त बनाया गया है। उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। वह निर्दोष है।

अभियुक्त सं10 सत्यवान सिंह यादव ने जाहिर किया कि अभियोग दायर करने से पहले उसे कोई नोटिस या राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट या सेम्पल का भाग नहीं दिया गया। उसके विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 15.6.02 को दवाई की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दायर किया है। वह निर्दोष है।

10— सभी अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहा व प्रतिरक्षा में गवाह डी0ड01जगमोहनजीत सिंह अरोड़ा अभियुक्त सं02

को परीक्षित करवाया।

11— हमने उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी एवं पत्रावली का एवं लिखित बहस का अत्यंत सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

12— विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण ने अमानक कोटि की/नकली, औषधि का विनिर्माण, वितरण सग्रंहण एवं विक्रय किया है जिसका नियमानुसार सेम्पल लिये जाने व प्रेषित किये जाने राजकीय विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार उक्त औषधि को अमानक कोटि की/नकली पाया गया है। उक्त औषधि अभियुक्त सं07 एवं 8 द्वारा अभियुक्त सं0 4,5,6 से खरीदना बताया जो कि अभियुक्त सं0 1,2,3 एवं 9,10 द्वारा निर्मित की गयी थी व उपरोक्तानुसार कम में बेचान किया गया। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 18a(i), 18(a)(vi) सपठित धारा 27(c) एवं 27(d) के तहत दोषसिद्धी बाबत् पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराधों में दोषसिद्ध किया जाने का निवेदन किया।

13— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का अपनी बहस में मुख्यतः निम्नलिखित तर्क रहे हैः—

(1) राजकीय विश्लेषक द्वारा गलत रूप से उक्त औषधि को गलत जांच के आधार पर Spurious drug घोषित किया गया है व राजकीय विश्लेषक द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त औषधि में कौन सा अन्य घटक या पदार्थ निर्माता द्वारा oxyphenorium bromide की जगह मिलाया गया है। इन हालात में राजकीय विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट निष्प्रभावी एवं शून्य है।

15/12/16
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)

(2) विवादित औषधि, अधिनियम—1940 की द्वितीय अनुसूची के पेरा सं0—1 के अनुसार Patent or proprietary medicine है, जिसमें निर्माता ने कई घटको जैसे— Oxyphenorium Bromide I.P. 10mg+Diazepam I.P. 2.5mg+Dried aiuminium Hydroxide Gel I.P. 300mg+Dihydroxaluminium

Amino Accetat U.S.P. 100mg. को मिश्रित कर निर्माण किया है व Patent or proprietary medicine है, जो किसी भी Pharmacopoeia जैसे I.P.(Indian Pharmacopoeia), B.P.(British Pharmacopoeia), U.S.P.(United State Pharmacopoeia) etc. में नहीं है तथा ऐसी Patent or proprietary medicine के निरीक्षण का निर्माता फर्म द्वारा अपना तरीका निर्मित किया जाता है। परिवादी/औषधि निरीक्षक या राजकीय विश्लेषक ने उक्त औषधि की जांच एवं विश्लेषण करने के लिये कोई तरीका निर्माता कम्पनी से नहीं लिया है इन हालात में उक्त औषधि की जांच एवं विश्लेषण, अधिनियम–1940 के तहत बनाये गये नियम–1945 के नियम 124बी में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सही प्रकार से नहीं किया गया है।

(3) औषधि निरीक्षक/परिवादी द्वारा राजकीय विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट की फोटो प्रति उपलब्ध करवायी जिसपर निर्माता कं0 ने 28दिनों के अन्दर ही उक्त विश्लेषण रिपोर्ट को चुनौती दी थी परन्तु विश्लेषण रिपोर्ट की मूल प्रति व सेम्पल अधि0 की धारा 23 व 25 के तहत निर्माता कं0 को उपलब्ध नहीं करवाया गया जबकि 28 दिन उसी व्यक्ति पर लागू होते है जिसे मूल प्रति व सेम्पल प्राप्त होता है।

(4) औषधि निरीक्षक ने तथाकथित सेम्पल सं0 SCJ/DI/JWR/7-98/33 लिया था व राजकीय विलेषक को भिजवाया था जिसपर राजकीय विश्लेषक ने सेम्पल सं0 SCJ/DI/JWR/7-98/33 की जांच नहीं की बल्कि विश्लेषण रिपोर्ट सं0 CIPL/6008/102dated 31-05-99 द्वारा सेम्पल सं0 SCJ/DI/JWR/97-98/33 की जांच की है। इन हालात में औषधि निरीक्षक द्वारा उक्त लिये गये सेम्पल की जांच रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है।

(5) परिवादी ने हस्तगत परिवाद उक्त औषधि की अवसान तिथि के अन्तिम दिनों में प्रस्तुत किया है व अवसान तिथि गुजर जाने के कारण औषधि के सेम्पल की पुनः केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच नहीं

हो सकी है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। ऐसे में हस्तगत कार्यवाही विधि विरूद्ध है।

(6) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क है कि अभियुक्त सं01 एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके दो पार्टनर है(1)ए0एस0अरोड़ा एवं (2)मैसर्स रेमीडीज फार्मास्यूटिकल्स(इण्डिया)लि0, जबकि अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा अभियुक्त सं01 के पार्टनर नहीं है बल्कि अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा तो केवल मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया)लिमिटेड के डायरेक्टर/प्रतिनिधि है तथा मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। ऐसे में जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा को विधि विरूद्ध अभियुक्त बनाया गया है।

(7) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि उक्त औषधि निर्माण के समय कम्पनी में कौन व्यवित इन्चार्ज थे व औषधि निर्माण के समय जिम्मेदार थे इस विषय में परिवादी ने कोई निरीक्षण नहीं किया है। परिवादी ने परिवाद में भली भांति रूप से यह नहीं बताया कि अभियुक्त सं0 2,3 किस प्रकार से अभियुक्त सं01 के लिये किस प्रकार से जिम्मेदार है। अभियुक्त सं02,3 दिन प्रतिदिन के कार्यो को देखने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है इन हालात में उनके विरूद्ध कोई अपराध का गठन नहीं होता है।

(8) विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी ने पूर्व में अभियुक्तगण सं01लगायत8 के विरूद्ध परिवाद पेश किया था एवं उस समय अभियुक्त सं09 बी0के0भाटी एवं अभियुक्त सं010 सत्यवानसिंह यादव को अभियुक्त नहीं बनाया गया था व बाद में धारा 173(8) द0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत पूरक परिवाद पत्र पेश किया गया व अभियुक्त बनाया गया जबकि धारा 173(8) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि इस प्रावधान में

केवल पुलिस अधिकारी को अधिकार प्राप्त है।

(9) विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मूल परिवाद में अभियुक्त सं09 व 10 के नाम हाथ से बड़ाये गये है जो किस व्यक्ति द्वारा किस आदेश के तहत बड़ाये गये है ऐसा तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा किया जाना कूट रचना की श्रेणी में आता है।

(10) राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट एक्जी0पी022 में ऐसा अंकित नहीं है कि निर्माता ने मुख्य दवा के स्थान पर आंशिक या संपूर्ण रूप में कौन सी दवा या पदार्थ मिलाया है।

(11) धारा 25(3) में 28 दिन की अवधि का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसे धारा 23(4) में सेम्पल का भाग व धारा 25(2) में राजकीय विश्लेषक की मूल प्रति प्राप्त हुई हो।

(12) विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियुक्त सं0 9 एवं 10 को बाद में अभियुक्त के रूप में संयोजित किया गया है तथा पूर्व में वे बतौर अभियुक्त नहीं थे तथा उनको विवादित औषधि की केन्द्रीय प्रयोगशाला से पुनः जांच का अधिकार नहीं मिला है ऐसे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार से वे वंचित रहे है इन हालात में उनके विरूद्ध यह कार्यवाही प्रभावहीन व शून्य है।

14– विद्वान अधिववता अभियुक्तगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है:–

(1) 1999 ड्रग्स केसेज 86
मै0केपलेट इण्डिया प्रा0लि0 बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य

(2) 1998ड्रग्स केसेज 512 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
देवेन्द्र कुमार जैन बनाम ड्रग इंसपेक्टर होशियारपुर

(3) 2002ड्रग्स केसेज 261 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
अरविंद धवन बनाम हरियाणा राज्य

15/12/16
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)

(4) ड्रग्स केसेज 1998 पेज 26 बोम्बे उच्च न्यायालय
रमनभाई बी.पटेल लि0 बनाम एस0 आर0 शर्मा ड्रग इंसपेक्टर व अन्य

(5) ए0आई0आर0 2008 एस सी पेज 1939
मैं0मेडीकेमन बायोटेक लि0 बनाम रूबीना बोस ड्रग इंसपेक्टर

(6) 1996ड्रग्स केसेज 253
शिवनारायण बंसल बनाम हरियाणा राज्य

(7) ड्रग्स केसेज 1977 पेज 20
मैं0 विलको लेबोरेट्रीज बनाम गुजरात राज्य व अन्य

(8) 2001 कि0लां0ज01686(सुप्रीम कोर्ट)
अमेरी फार्मासिटीकल्स व अन्य बनाम राज0 राज्य

(9) 2002ड्रग्स केसेज 262 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
दीवानचंद बनाम पंजाब राज्य

(10) 2002ड्रग्स केसेज 188 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
अनुराग अरोड़ा व अन्य बनाम हरियाणा राज्य

(11) 1978 कि0लां0ज01852(मद्रास उच्च न्यायालय)
In re R. Dayalan and other Petitioners

(12) 1999 कि0लां0ज0 2903(बोम्बे हाई कोर्ट)
मैं0जिम लेबोरेट्रीज बोम्बे बनाम महाराष्ट्र राज्य

(13) 2008 कि0लां0ज0(एन0ओ0सी0) 1229(राज0)330
मै0निकसन फार्मासीटीकल्स व अन्य बनाम राज0 राज्य

(14) ए0आई0आर01967 सुप्रीम कोर्ट 970
म्यूनिसिपल कारपोरेशन देहली बनाम घीसाराम

(15) 1996(6) Scale पेज 404
हरियाणा राज्य बनाम यूनिक फार्म्ड प्रा0लि0 व अन्य

(16) 2003 ड्रग्स केसेज 73
गुजरात राज्य बनाम मैं0 एल्पिन इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली व अन्य

(17) ए0आई0आर01983सुप्रिम कोर्ट पेज 67(1)
म्यूनिसिपल कोरपो0देहली बनाम रामकिशन राहेतगी व अन्य

(18) ए0आई0आर01998सुप्रिम कोर्ट पेज 2327
हरियाणा राज्य बनाम बृजलाल मित्तल

15/12/16
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)

(19) ई0एफ0आर0 1990(2) पेज 387 दिल्ली उच्च न्यायालय
आदर्श मारवाह व अन्य बनाम नेहर रंजन भटटाचार्य व अन्य

(20) 2001 ड्रग्स केसेज 7 बोम्बे उच्च न्यायालय
पन्नालाल सुन्दरलाल चौकसी व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य

(21) 2002(1)किमिनल कोर्ट केसजे 375 केरला उच्च न्यायालय
अरविंद बाबू बनाम केरल राज्य

(22) 2002ड्रग्स केसेज (डी सी)339 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
एन0 दानापानी व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य

15— हमने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का का अत्यंत सावधानीपर्वूक फिर से अवलोकन किया। इस प्रकरण के अवधारण हेतु मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः—

(1) *आया दिनांक 24.7.1998 को औषधि निरीक्षक एस0सी0जैन ने मैसर्स एच0बी0 मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास, अकलेरा से अभियुक्तगण द्वारा निर्मित, विक्रित, वितरित एवं संग्रहित की गयी उक्त औषधि का नमूना लिया जो 17B(d) के तहत* ***Spurious Drug*** *व धारा* ***16(a)*** *के तहत* ***Not of Standard quality*** *की पायी गयी व इस प्रकार अभियुक्तगण ने धारा 18a(i), 18(a)(vi) की खिलाफवर्जी की ओर एतद द्वारा धारा 27(c) एवं* ***27(d)*** *के तहत दण्डनीय अपराध किया?*

यदि हां तो अभियुक्तगण को क्या सजा तज़वीज की जावे?

16— उक्त बिन्दुओं के सम्बंध में दिनांक 18.1.06 को आरोप विरचित करने के पश्चात् अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षीगण पी0ड01रणवीरसिंह, पी0ड02 संजय पारीक पी0ड03हरिओम मेहता को परीक्षित करवाया गया था ***परन्तु प्रकरण परिवाद पर आधारित वारंट केस होने से इस भूल को दिनांक 7.8.08 को दुरूस्त*** किया गया व प्रकरण में वारंट ट्रायल प्रोसीजर अख्तियार किया गया।

चूंकि उक्त तीनो गवाहान की परीक्षा उभय पक्ष की मौजूदगी में विधि अनुसार हुई है व तकनीकी रूप से प्रकरण की अन्वीक्षा की प्रक्रियां विधिअनुसार तब्दील गयी है अतः उक्त परीक्षित तीनो गवाहान की साक्ष्य, ग्राह्य है।

17— इस सम्बंध में साक्षी पी0ड01रणवीरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.7.2001 को वह औषधि निरीक्षक के पद पर औषधि नियंत्रक विभाग दिल्ली सरकार एफ—17 कडकड डूमा दिल्ली में कार्यरत था। उसे एक पत्र क्रम सं0 डी सी/टेस्ट—2/दिल्ली—68/2001/618 दिनांक 19.6.2001 प्राप्त हुआ था जिसमें ड्रग कन्ट्रोलर राजस्थान ने हमारे से यह पूछा था कि मैसर्स रेमेडीज इण्डिया दिल्ली द्वारा निर्मित दवाई एल्यूप्रोमेट—डी, बेच नं0 टी—8020 के मेन्यूफेक्चरी केमिस्ट तथा विश्लेषक केमिस्ट कौन—कौन है जिसका जवाब उसने राजस्थान ड्रग कन्टोलर को एक्जी0पी01 प्रेषित किया था जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह जवाब उसने रेमेडीज इण्डिया लिमिटेड से पूछ कर ही प्रेषित किया था तथा दोनो केमिटस्ट के नाम (1) बी0के0भाटी(निर्माता केमिस्ट, अभियुक्त सं09) एवं (2)सत्यवान सिंह यादव(विश्लेषक केमिस्ट, अभियुक्त सं010) बताये थे। इस गवाह से बचाव पक्ष द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है। अतः इस साक्षी की साक्ष्य अखण्डित एवं विश्वसनीय है। इस साक्षी की साक्ष्य से पूरक परिवाद—पत्र दिनांक 15.6.02 के तथ्यों की पुष्टि होती है तथा यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि विवादित

औषधि के समय निर्माता कं0 अभियुक्त सं01 के निर्माता केमिटस्ट एवं विश्लेषक केमिस्ट क्रमशः बी0के0भाटी एवं सत्यवानसिंह यादव थे।

18— इसी क्रम में गवाह पी0ड02संजय पारीक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उसके द्वारा न्यायालय में परिवाद एक्जी0पी02 पेश किया गया था जिसके पेरा सं017ए के अनुसार निर्माण एवं विश्लेषक के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम ज्ञात नहीं होने से दिनांक 15.6.02 को पूरक परिवाद प्रदर्श पी03 पेश किया था। उसका राज्य सरकार द्वारा औषधि निरीक्षक का गजट नोटीफिकेशन एक्जी0पी04 है व औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश एक्जी0पी05 के जरिये उसको परिवाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया गया था। प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त तथ्यों के खण्डन में इस गवाह से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है।

19— गवाह पी0ड03हरिओम मेहता ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त स्वीकृति आदेश एक्जी0पी05 को साबित किया है जिसके द्वारा औषधि निरीक्षक को न्यायालय में परिवाद पत्र पेश करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

20— *हस्तगत प्रकरण के परिवाद पर आधारित वारंट केस होने से इस भूल को दिनांक 7.8.08 को दुरूस्त* किया गया व प्रकरण में वारंट ट्रायल प्रोसीजर अख्तियार किया गया व चार्ज पूर्व साक्ष्य में साक्षीगण पी0ड01सुभाषचंद जैन औषधि निरीक्षक, पी0ड02विजय कुमार सिंघल, पी0ड03संजय पारीक परिवादी, पी0ड04जनकराज भाटिया, पी0ड05एस0डे0 औषधि निरीक्षक, दिल्ली, पी0ड06डी0के0श्रृंगी औषधि नियंत्रक कोटा के बयान कराये।

21— तदुपरांत उभय पक्ष की बहस आरोप सुनी जाकर अलग से आदेश पारित कर दिनांक 24.8.12 को अभियुक्तगण को उक्त आरोपित अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराधों का

आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंन्कार कर अन्वीक्षा चाही तत्पश्चात् उक्त परीक्षित गवाहान पी0ड01लगायत 4 से मजीद जिरह करवायी गयी।

22— अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान में गवाह पी0ड01सुभाष चंद जैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके औषधि निरीक्षक का गजट नोटीफिकेशन एक्जी0पी06 है। जुलाई—1998 में वह औषधि निरीक्षक झालावाड़ था तथा दिनांक 24.7.98 को उसने एच0बी0 मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर अकलेरा का निरीक्षण किया था जिसकी फद मौका रिपोर्ट एक्जी0पी07 बनायी थी। निरीक्षण के दौरान उक्त संस्थान से अभियुक्त फर्म मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया) फार्मास्युटिकल्स, 34 बादली इण्डस्ट्रीयल स्टेट फेज—II दिल्ली द्वारा निर्मित औषधि टेबलेट—एल्यूप्रोमेट—डी, बेच नं0 टी.8020 निर्माण तिथि— 02.98, अवसान तिथि जनवरी—2001 का नमूना कमांक एस0सी0जे0/डी0आई0/जे0डब्ल्यू0आर0/7—98/33 लिया। मौके पर फ़ार्म नं017, एक्जी0पी08 तैयार किया व एक प्रति उक्त संस्थान के मालिक मोहम्मद हुसैन(अभियुक्ता सं08) को दी। मौके पर लिये गये औषधि की 4X5X10(स्ट्रिप) को चार बराबर भागों में विभक्त कर अलग—अलग सील कर, हस्ताक्षर कर, एक भाग मौके पर संस्थान मालिक को दिया व एक्जी0पी08 पर प्राप्ति रसीद ली व उक्त औषधि की कीमत स्वरूप उक्त संस्थान द्वारा विक्रय बिल संख्या 9887 दिनांक 24.7.98 जारी किया गया जिसकी फोटो प्रति मार्क—01 है। वापसी कार्यालय पर रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल के साथ फार्म नं018 व एक सील नमूना राजकीय विश्लेषक जयपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। फार्म सं018 की एक प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अलग से भेजी गयी। फार्म सं018 की प्रति एक्जी0पी09 है। अग्रेषण—पत्र एक्जी0पी010 है। राजकीय विश्लेषक जयपुर ने सेम्पल टेस्ट होने की सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण नमूना मय फार्म नं018 के उसे वापस भेज

दिया जो दिनांक 19.8.98 को प्राप्त हुआ जो एक्जी0पी011 है। इसके बाद उक्त नमूना पुनः राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद को फार्म नं018, एक्जी0पी012 के दिनांक 19.8.98 को भिजवाया गया। इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया जिसपर उसने पत्रावली आगन्तुक औषधि निरीक्षक श्री जनकराज भाटियां को चार्ज में संभला दी।

23— इस गवाह का **अपनी प्रतिपरीक्षा में** कथन है कि यह सही है कि परिवाद के साथ नमूना भाग न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। यह उसे ध्यान नहीं है कि वक्त निरीक्षण उक्त स्टोर के आस–पास दुकान थी या नहीं। यह सही है कि यह स्टोर मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सही है कि उसने मौके का कोई स्वतंत्र गवाह या आस–पास का गवाह नहीं लिया। यह उसे जानकारी नहीं है कि सेम्पल के समय प्रश्नगत दवा की कितनी मात्रा विक्रेता के पास उपलब्ध थी। यह सही है कि फार्म नं017 में उसने सेम्पल की पैकिंग, बनावट व रंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है। औषधि के लेबिल के अनुसार यह औषधि *पेटेन्ट एण्ड प्रोपराईट्री* मेडीसीन है। यह सही है कि *पेटेन्ट एण्ड प्रोपराईट्री* मेडीसीन की टेस्टिंग प्रोसीजर सम्बंधित निर्माता से प्राप्त किया जाता है। इस मामले में चूंकि राजकीय विश्लेषक ने उससे प्रोटोकॉल आफ टेस्ट(विश्लेषण विधि) उससे नहीं मांगी, इसलिये उसने भी निर्माता से नहीं मांगी व इस सम्बंध में उसने कोई कार्यवाही नहीं की। यदि विश्लेषण विधि मांगी जाती व उसके अनुसार परीक्षण किया जाता तो दवाई ऑक्सीफेनोनियम ब्रोमाईड पूर्ण मात्रा में पायी जाती इस बात को विश्लेषक ही बता सकता है। यह सही है कि फार्म सं013(राजकीय विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट) में सेम्पल नं0 एस0सी0जे0/डी0आई0/जे0डब्ल्यू0आर0/97–98/33 अंकित है। यह सही है कि जो नमूना विश्लेषक को भेजा था उसके सेम्पल नं0 एवं विश्लेषक से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके सेम्पल नं0 में रिकार्ड के अनुसार फर्म है(भेजे गये नमूने में 7–98 अंकित है जबकि

रिपोर्ट में 97–98 अंकित है)

24– साक्षी पी0ड02विजय कुमार सिंघल अभियुक्तगण द्व ारा औषधि क्रय–विक्रय व अभियुक्तगण फर्म के संविधान व अन्य दस्तावेज तलब करने के सम्बंध में लिखा–पढ़ी करने व पत्रादि जारी करने का गवाह है जिसने अपनी साक्ष्य में इस बाबत् कथन किये है व दस्तावेज एक्जी0पी015 लगायत25 को प्रदर्शित भी किया है।

25– इस गवाह से **की गयी प्रतिपरीक्षा में** इसका कथन है कि यह सही है कि धारा 23(4)(3) के अनुसार निर्माता को सेम्पल का भाग नहीं भेजा गया था। यह सही है कि धारा 25(2) के अनुसार राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट की मूल प्रति निर्माता को नहीं भेजी गई। निर्माता द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.9.99 द्वारा विश्लेषक की रिपोर्ट को अस्वीकार करने की सूचना हमें दी थी जो कि दिनांक 12.11.99 को प्रापत हुई थी। पत्र एक्जी0पी017 उसके द्वारा निर्माता को लिखा गया पत्र है जिसमें निर्माता को धारा 25(3) के तहत राजकीय विश्लेषण रिपोर्ट को चुनौती देने बाबत् लिखा था। यह गलत है कि धारा 25(4) के तहत सेम्पल की पुनः जांच हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने का दायित्व ड्रग विभाग का हो। यह गलत है कि उसने जानबूझकर सेम्पल पुनः परीक्षण हेतु सी0डी0एल0 नहीं पहुंचाया हो। यह गलत है कि उसे ऐसा ज्ञान हो कि सेम्पल सी0डी0एल0 में पास हो जायेगा इसलिये उसने सेम्पल नहीं भिजवाया हो। यह गलत है कि हमारे द्वारा विलम्ब से परिवाद पेश करने के कारण निर्माता विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती देने के अपने अधिकार से वंचित हो

(26)

साक्षी पी0ड03संजय पारीक परिवादी है। इस अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि दिनांक 12.1.2001 को वह औषधि निरीक्षक झालावाड के पद पर था। औषधि निरीक्षक एस0सी0जैन द्वारा लिये गये उपरोक्तानुसार सेम्पल की जांच रिपोर्ट एक्जी0पी022 प्राप्त होने के

बाद औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर ने उसे दोषियों के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने हेतु आदेश एक्जी0पी05 दिया जिसपर उसने अभियुक्तगण (1लगायत–8) के विरूद्ध परिवाद एक्जी0पी02 पेश किया। बाद में बी0के0भाटी एवं सत्यवानसिंह यादव को भी मुलजिमान के रूप में जोड़ने का निवेदन किया जो एक्जी0पी03(पूरक परिवाद) है। उसका गजट नोटीफिकेशन एक्जी0पी04 है।

27– इस साक्षी का **अपनी प्रतिपरीक्षा में** कथन है कि उसका गजट नोटिफिकेशन एक्जी0पी04 समस्त राजस्थान राज्य के लिये है। यह सही है कि जिला–झालावाड के लिये उसने कोई नोटीफिकेशन दाखिल नहीं किया है। लोकल ऐरिया के लिये कोई नोटीफिकेशन नहीं है ना ही होता है। यह सही है कि अभियोग पत्र दाखिल करने हेतु स्वीकृति अनितम बार दिनांक 15.7.2000 को प्रापत हुई थी। इसके अलावा कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। यह सही है कि 15.7.2000तक पूर्व ड्रग इंसपेक्टर एस0सी0जैन, जनकराज भाटिया एवं विजय कुमार सिंघल ने जो विवेचना की थी उसी के आधार पर उसने अभियोग पत्र दाखिल किया है। उसने अभियुक्त सं0 1 से 8 के पत्राचार पर कोई विवेचना नहीं की। यह सही है कि उसने अभियुक्त सं0 9,10 को कोई नोटिस नहीं दिया ना सेम्पल का भाग या राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट दी गयी। मूल अभियोग पत्र दायर करने की दिनांक को उसे अभियुक्त सं09, 10 के बारे में जानकारी नहीं थी। यह सही है कि अभियुक्त सं09,10 के विरूद्ध एक प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 173(8) द0प्र0सं0 पेश किया है। यह सही है कि वह ड्रग इंसपेक्टर है, पुलिस अधिकारी नहीं है। यह सही है कि 173(8)द0प्र0सं0 में पूरक आरोप–पत्र प्रस्तुत करने की शक्तियां पुलिस अधिकारी को होती है। यह सही है कि राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट एक्जी0पी022 में ऐसा अंकित नहीं है कि निर्माता ने मुख्य दवा के स्थान पर आंशिक या संपूर्ण रूप में कौन सी दवा या पदार्थ मिलाया है।

28— साक्षी पी0ड04जनकराज भाटिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह जून—99 से अक्टूबर—99 तक औषधि निरीक्षक के पद पर झालावाड़ में नियुक्त था। इस दौरान रिपोर्ट एक्जी0पी022 उसे दिनाक 23.6.99 को प्राप्त हुई जिसपर उसने रिपोर्ट के साथ मैसर्स एच0बी0 मेडीकल, अकलेरा को नोटिस एक्जी0पी025 दिया जिसका उसने जवाब एक्जी0पी026 दिया व दवा खरीद का बिल की फोटोप्रति एक्जी0पी027 दी। इसपर उसने जय अम्बे मेडीकल कोटा को भी उक्तानुसार नोटिस एक्जी0पी028 दिया जिसकी डाक रसीद एक्जी0पी029 है जिसपर जय अम्बे मेडीकल्स कोटा ने जवाब एक्जी0 पी030 दिया व निर्माता कं0 रेमीडीज के बिल एक्जी0पी031 व 32 दिये जिसपर उसने अभियुक्त सं01निर्माता कं0 को नोटिस एक्जी0पी033 दिया। इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया।

29— इस साक्षी का **अपनी प्रतिपरीक्षा में** कथन है कि राजकीय विश्लेषक रिपोर्ट(फार्म सं013) की उसे तीन मूल प्रतियां प्राप्त हुई थी। यह सही है कि मेने राजकीय विश्लेषक रिपोर्ट की एक मूल प्रति अभियुक्त सं07, एक मूल प्रति अभियुक्त सं04 जय अम्बे मेडीकल को भेजी थी। यह सही है कि उसने फार्म सं013 की मूल प्रति अभियुक्त सं01निर्माता कं0 को नहीं भेजी बल्कि फोटो प्रति भेजी। यह सही है कि निर्माता को कोई सेम्पल का भाग नहीं भेजा था। यह सही है कि धारा 25(3) में 28 दिन की अवधि का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसे धारा 23(4) में सेम्पल का भाग व धारा 25(2) में राजकीय विश्लेषक की मूल प्रति प्राप्त हुई हो।

साक्षी पी0ड05एस0डे0(औषधि निरीक्षक दिल्ली) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने दिनांक 14.9.99 को ड्रग कन्टोलर राजस्थान के पत्र दिनांक 24.6.99 के सन्दर्भ में एक पत्र एक्जी0पी034 लिखा था व अभियुक्त सं01 रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्युटिकल दिल्ली का संविधान भेजा था व इसी क्रम में उक्त

कम्पनी की भागीदारी डीड, डिकलेरेशन फार्म, बोर्ड आफ डायरेक्टर के मिटींग के मिनट्स का रिकार्ड, जिसके द्वारा डायरेक्टर जगमोहनजीत सिंह अरोड़ा को इस कम्पनी का प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकृत किया गया था, ए0एस0अरोड़ा की भागीदारी सहमति पत्र, संलग्न किये थे। इस सन्दर्भ में मेन्यूफेक्चरिंग लाईसेंस रजिस्टर एक्जी0पी035 है जिसमें क्रमांक 461 पर अभियुक्त सं01निर्माता कं0 का इन्द्राज है जिसे कम्पनी के निवेदन पर दिनांक 5.4.05 को निरस्त कर दिया गया था। इस कारण से उक्त कम्पनी की पत्रावली को नष्ट कर दिया गया जिसका इन्द्राज उनके कार्यालय के बीडिंग रजिस्टर एक्जी0पी036 में किया गया जिसके क्रमांक 259 पर इसका इन्द्राज है।

31— इस गवाह का अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन है कि यह सही है कि रेमेडीज इण्डिया फार्मास्युटिकल्स अभियुक्त सं01 फर्म है जिसके दो पार्टनर है जिनमें एक ए0एस0अरोड़ा प्राकृतिक व्यक्ति है तथा दूसरा पार्टनर एक लिमिटेड कं0 है जिसका नाम मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटीकल्स इण्डिया लिमिटेड है। यह सही है कि जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा व्यक्तिगत रूप मैसर्स रेमेडीज इण्डिया फार्मास्युटिकल्स के भागीदार नहीं है। यह सही है कि मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटीकल्स इण्डिया लिमिटेड इस अभियोग में अभियुक्त नहीं है। यह सही है कि जगमोहन जीत सिंह का कोई ऐसा पत्र या अण्डरटेकिंग जिसमें उसने कहा हो कि वह मैसर्स रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स इण्डिया लि0 के उत्तरदायी हो, उनकी पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा मैसर्स रेमेडीज फार्मास्युटीकल्स इण्डिया के प्रतिनिधि है। यह कम्पनी वर्ष 2005 में बंद हो चुकी है।

32— साक्षी पी0ड06डी0के0श्रृंगी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 22.3.2000 को लाईसेंस आथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक कोटा जोन के पद पर था। औषधि निरीक्षक झालावाड़ के पत्र दिनांक 12.11.99 के सन्दर्भ में मैं0एच0बी0

मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर अकलेरा व मैसर्स जय अम्बे मेडीकल कोटा के संविधान सम्बंधी सूचना जरिये पत्र एक्जी0पी020 प्रेषित की थी। एच0बी0 मेडीकल के मालिक मोहम्मद हुसैन का मूल हलफनामा, ड्रग लाईसेंस, नवीनीकरण फार्म, होलसेल लाईसेंस आदि एक्जी0पी037 लगायत42 हैं। इसी प्रकार जय अम्बे मेडीकल कोटा के होलसेल लाईसेंस, नवीनीकरण फार्म, भागीदारी का हलफनामा, आदि एक्जी0पी0 43लगायत 47 है। इस **गवाह से प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई प्रतिपरीक्षा नहीं** की है।

33— प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोप विरचित कर सुनाये जाने व उनके द्वारा अन्वीक्षा चाहने पर उक्त परीक्षित गवाहान **को पुनः मजीद जिरह के लिये तलब किया गया।** इसपर गवाह पी0ड01सुभाष जैन ने कथन किया कि फार्म सं018 की 3 प्रतियां बनायी जाती है व तीनो समान होती है। फार्म सं018 की प्रति एक्जी0पी012 है। उसका समस्त राजस्थान के लिये गजट नॉटीफिकेशन है जो पत्रावली में मौजूद है। झालावाड़ जिले में कार्य करने सम्बंधी आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यह सही है कि औषधि के लेबल पर अंकित औषधियों(घटको) के अलावा विश्लेषक ने अन्य किसी औषधि की उपस्थिति अपनी रिपोर्ट में पेश नहीं किया है।

34— गवाह पी0ड02विजयकुमार सिंघल का **अपनी मजीद जिरह में कथन है** कि झालावाड़ लोकल ऐरिया के लिये उसका अलग से कोई नोटीफिकेशन नहीं है। वह राज0सरकार द्वारा अधिकृत होने के कारण उसके द्वारा झालावाड़ जिले में कार्य किया गया है। यह सही है कि दिनांक 20.8.99, 10.9.99 या 12.11.99 को कोई अभियोग पत्र न्यायालय में नहीं था बल्कि मामला औषधि निरीक्षक स्तर पर अनुसंधान में लंबित था। यह सही है कि निर्माता को धारा 23(4) के अनुसार सेम्पल भाग व धारा 25(2) के अनुसार राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट की मूल प्रति नहीं भेजी गयी। यह गलत है कि 28 दिन की

अवधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसे सेम्पल का भाग व जांच रिपोर्ट की मूल प्रति प्राप्त होती हो। यह सही है कि जांच रिपोर्ट में मूल घटक के अलावा कोई अन्य घटक का उल्लेख नहीं है। यह सही है कि ड्रग कन्टोलर राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 10.9.99 के द्वारा वाद दायर करने की अनुमति दी थी।

35— गवाह पी0ड03संजय पारीक परिवादी का अपनी मजीद जिरह में कथन है कि यह सही है कि राजकीय विश्लेषक रिपोर्ट को एक भी अभियुक्त द्वारा चुनौती दिया जाना पर्याप्त है। इस प्रकरण में अभियुक्त ने अपने पत्र दिनांक 10.9.99 एक्जी0पी016 द्वारा चेलेन्ज किया था। उसने परिवाद दिनांक 12.1.2001 को अभियुक्त सं01 लगायत8 के विरूद्ध न्यायालय में पेश किया था। यह सही है कि उसने अभियुक्त ं9 व 10 के विरूद्ध अभियोग दाखिल नहीं किया। अभियोग पत्र के पेज सं02 पर पेन से अभियुक्त सं09,10 अंकित है वह उसके द्वारा अंकित नहीं किये गये है। अभियुक्त सं09,10 का नाम किस के आदेश से अंकित किया गया यह जानकारी नहीं है। यह सही है कि पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश नहीं है। उसे पता नहीं है कि मैं0रेमीडीज फार्मास्यूटिकल्स अभियुक्त सं01 में कितने पार्टनर है। यह सही है कि मैं0रेमीडीज फार्मास्यूटिकल्स इण्डिया लि0 इस अभियोग पत्र में अभियुक्त नहीं है। श्री जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा अभियुक्त सं01 के पार्टन नहीं है। यह सही है कि अभियोग पत्र दाखिल करते समय अभियुक्त सं01 में प्रश्नगत दवाई के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार था मैं नहीं कह सकता। यह गलत है कि इस अभियोग पत्र को दाखिल करने का कोई अधिकार ना हो। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि राजकीय विश्लेषक ने प्रश्नगत दवाई का विश्लेषण किया है वह विधिवत गजट नोटीफिकेशन द्वारा नियुक्त राजकीय विश्लेषक था या नहीं।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज.)

36— गवाह पी0ड04 जनकराज भाटिया का अपनी मजीद जिरह में कथन है कि उसे जानकारी नहीं है कि निर्माता कम्पनी के इस दवाई के निर्माण के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। यह सही है कि निर्माता ने सेम्पल को चेलेन्ज किया था। यह सही है कि निर्माता ने सेम्पल को चेलेन्ज किया था उसे पता नहीं कि सम्बंधित ड्रग इंसपेक्टर ने अभियुक्त द्वारा सेम्पल चेलेन्ज करने के पश्चात् पुनः जांच के लिये सी0डी0एल0(केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला) भिजवाया या नहीं है। यह सही है कि चेलेन्ज करने पर ड्रग इंसपेक्टर पुनः जांच हेतु कोर्ट में दाखिल करेगा तथा पुनः जांच हेतु न्यायालय के माध्यम से सी0डी0एल0 भिज़वायेगा।

37— प्रतिरक्षा साक्ष्य में परीक्षित गवाह डी0ड01जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा (अभियुक्त सं03) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि प्रश्नगत दवाई का निर्माता अभियुक्त संख्या–1 मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया)फार्मास्यूटिकल का वह भागीदार नहीं है। मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया)फार्मास्यूटिकल में दो पार्टनर है जिनमें एक अभियुक्त सं02ए0एस0अरोड़ा है तथा दूसरा पार्टनर मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल (इण्डिया)लिमिटेड है। वह मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल इण्डिया लिमिटेड का एक डायरेक्टर/प्रतिनिधि है। इस अभियोग में मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल (इण्डिया) लिमिटेड, अभियुक्त नहीं है। मैसर्स रेमेडीज इण्डिया फार्मास्यूटिकल को औषधि निरीक्षक झालावाड ने नोटिस दिनांक 20.8.99 एक्जी0पी033 दिया था जिसकी प्राप्ति के 28 दिनों के अन्दर जवाब हमने एक्जी0पी016 दिया जिसके द्वारा हमने राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट को चेलेंज किया था। कम्पनी द्वारा पुनः जांच की प्रार्थना करने के बावजूद भी ड्रग इंसपेक्टर ने सेम्पल को सी0डी0एल0 कलकत्ता से रिटेस्ट नहीं कराया।

15/12/16
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)

38— उभय पक्ष की उक्त साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन से यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि औषधि निरीक्षक एस0सी0जैन द्वारा दिनांक 24.7.98 को तत्कालीन औषधि निरीक्षक श्री एस0सी0 जैन द्वारा नियमानुसार अभियुक्त सं07 से औषधि —'टेबलेट **एलूप्रोमेट—डी.**, बेच नं0 टी—8020, निर्माण तिथि फरवरी 98, अवधिपार तिथि—जनवरी 2001नियमानुसार मौके पर सेम्पलो को सीलचिट कर एक सील्ड सेम्पल नियमानुसार दिनांक 25.7.98 को राजकीय विश्लेषक जयपुर(राज0) को भिजवाया गया जहां से सेम्पल को वापस प्रयोगशाला में कम्पलीट जांच सुविधा नहीं होने से 1.8.98 को लौटा दिया गया इसपर दिनांक 19.8.98 को राजकीय विश्लेषक सी.पी. आई.एल. राजनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) को जांच हेतु भिजवाया गया तो जांच में सेम्पल —"The Sample is spurious in that it gives negative test for oxyphenorium bromide"— कारण से अवमानक कोटि का पाया गया। इसपर अभियुक्त सं07 को उक्त औषधि के क्रय विक्रय के बारे में जवाब मांगा गया तो उसके मालिक अभियुक्त सं08 ने अपने जवाब में बिल नं0 डी0ओ01806 दिनांक 19.5.98 के द्वारा 32X10 टेबलेट की मात्रा में अभियुक्त सं04 से खरीदना बताया जिसको नोटिस दिये जाने पर, अभियुक्त सं04 के भागीदार मालिक अभियुक्त सं05 ने बताया कि उक्त औषधि उनके द्वारा अभियुक्त सं01 से खरीदा किया गया है।

39— उक्त औषधि के क्रय—विक्रय के सम्बंध में अभियुक्तगण द्वारा अपने परीक्षण अन्तर्गत धारा 313द0प्र0सं में ऐसे ही तथ्य जाहिर किये है जिनका विवेचन उपरोक्तानुसार किया जा चुका इसी प्रकार प्रालेखीय साक्ष्य में अभियुक्त सं07 व 8(मैसर्स एच0बी0 मेडीकल एवं मोहम्मद हुसैन) की ओर से दिया गया जवाब एक्जी0पी026 है जिसके अनुसार उन्होने उक्त औषधि के खरीद का बिल एक्जी0पी027 प्रस्तुत किया है जो कि जय अम्बे मेडीकल कोटा (अभियुक्त सं04) द्वारा अभियुक्त सं07,8 को जारी किया गया है।

इसपर औषधि निरीक्षक झालावाड द्वारा मैसर्स जय अम्बे मेडीकल कोटा को नोटिस एक्जी0पी028 दिया गया जिसपर जय अम्बे मेडीकल्स कोटा ने जवाब एक्जी0पी030 देते हुए उक्त औषधि को अभियुक्त सं01निर्माता कं0 से खरीद किया जाना बताया व अभियुक्त सं01निर्माता कं0 द्वारा जय अम्बे मेडीकल के नाम उक्त औषधि विक्रय का बिल एक्जी0पी031 एवं पी032 की प्रति प्रस्तुत की। अभियुक्त सं01निर्माता कं0 को इस सम्बंध में नोटिस दिये गये जिनके कम में अभियुक्त सं01निर्माता कं0 अपने पत्र/जवाब एक्जी0पी015, 16 दिया गया जिनको सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर यह यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि विवादित औषधि का निर्माण उनके द्वारा किया गया है, तथा स्टॉक मे अब उनके पास उक्त औषधि नहीं थी तथा उक्त विक्रय की गयी औषधि को उनके द्वारा वापस रिकॉल करने के लिये सम्बंधित को पत्र लिखे गये जिनकी प्रतिया पत्रावली पर उपलब्ध है।

40— इस प्रकार यह *तथ्य एकदम आईने की तरह साफ व स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा निर्मित, विक्रित औषधि* ***ALUPROMATE-D, Batch No. T-8020 का ही सेम्पल, औषधि निरीक्षक झालावाड़*** द्वारा लिया गया जो राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद द्वारा विश्लेषण किये जाने पर उपरोक्तानुसार अवमानक कोटि की पायी गयी है। राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में भी *औषधि* ***ALUPROMATE-D, Batch No. T-8020 के ही सेम्पल*** का विश्लेषण किया जाना अंकित है।

41— इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क कि कम्पनी द्वारा निर्मित औषधि का सेम्पल नहीं लिया गया है तथा जो विश्लेषण रिपोर्ट पत्रावली पर है वे उनके द्वारा निर्मित औषधि की नहीं है, उपरोक्त विवेचन की रोशनी में सारहीन हो जाता है।

42— विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि राजकीय विश्लेषक द्वारा गलत रूप से उक्त औषधि को गलत जांच के आधार

पर Spurious drug घोषित किया गया है व राजकीय विश्लेषक द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त औषधि में कौन सा अन्य घटक या पदार्थ निर्माता द्वारा oxyphenorium bromide की जगह मिलाया गया है। इन हालात में राजकीय विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट निष्प्रभावी एवं शून्य है।

43— इस सम्बंध में राजकीय विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट एक्जी0पी022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें औषधि की परख (ASSAY) करते हुए विवरण निम्न प्रकार अंकित किया गया है:—

Content of	Obtd. mg/av.wt.	Claim mg/tab	%Claim	Limits%	Method
Oxyphenorium Bromide	Nil	10	-	90-110	Colorimetric
Diazepam	2.48	2.5	99-28	90-110	Colorimetric
Aluminium Oxide	160.41	178.78	-	-	Titrimetric

इस प्रकार उक्त विश्लेषण के उपरांत सेम्पल को —"The Sample is spuricus in that it gives negative test for oxyphenorium bromide"— कारण से अवमानक कोटि का पाया गया।

44— यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार विवादित औषधि में oxyphenorium bromide नामक घटक नहीं पाया गया है इसी कारण से इसे spurious drug पाया गया है। राजकीय विश्लेषक को यह बताना जरूरी नहीं है कि उक्त घटक oxyphenorium bromide के स्थान पर कौन सा घटक मिलाया गया। क्योंकि निर्माता कं0 ने अपनी उक्त औषधि के Composition में oxyphenorium bromide नामक घटक होने का उल्लेख किया है तथा विश्लेषण में उक्त घटक नहीं पाया गया है तथा उक्त औषधि में उक्त घटक का नहीं पाया जाना ही उक्त औषधि को spurious drug मानने के लिये पर्याप्त है। अतः विद्वान अधिवक्ता के

उक्त तर्क में कोई बल एवं सार नहीं है। इस सम्बंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1999 ड्रग्स केसेज–86 कलकत्ता उच्च न्यायालय, तथ्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के चलते हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

45– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि विवादित औषधि, अधिनियम–1940 की द्वितीय अनुसूची के पैरा सं0–1 के अनुसार Patent or proprietary medicine है, जिसमें निर्माता ने कई घ टको जैसे– Oxyphenorium Bromide I.P. 10mg+Diazepam I.P. 2.5mg+Dried aluminium Hydroxide Gel I.P. 300mg+Dihydroxaluminium Amino Accetat U.S.P. 100mg. को मिश्रित कर निर्माण किया है व Patent or proprietary medicine है, जो किसी भी Pharmacopoeia जैसे I.P.(Indian Pharmacopoeia), B.P.(British Pharmacopoeia), U.S.P.(United State Pharmacopoeia) etc. में नहीं है तथा ऐसी Patent or proprietary medicine के निरीक्षण का निर्माता फर्म द्वारा अपना तरीका निर्मित किया जाता है। परिवादी/औषधि निरीक्षक या राजकीय विश्लेषक ने उक्त औषधि की जांच एवं विश्लेषण करने के लिये कोई तरीका निर्माता कम्पनी से नहीं लिया है इन हालात में उक्त औषधि की जांच एवं विश्लेषण, अधिनियम–1940 के तहत बनाये गये नियम–1945 के नियम 124बी में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सही प्रकार से नहीं किया गया है।

46– इस सम्बंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, जांच रिपोर्ट एवं सम्बंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह सही है कि विवादित औषधि निम्नप्रकार वर्णित रूप से अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के तहत Patent or proprietary medicines औषधि है जिसके स्टेण्डर्ड को निम्न प्रकार कम्पलाई किया जाता है:–

THE SECOND SCHEDULE

(See section & 8 and 16)

STANDARDS TO BE COMPLIED WITH BY IMPORTED DRUGS AND BY DRUGS MANUFACTURED FOR SALE, VOLD, STOCKED OR EXHIBITED FOR SALE OR DISTRIBUTED

Serial No.	Class of drug	Standard to be complied with
1	Patent or proprietary medicines [other than Homoeopathic medicines]	The formula of list of ingredients displayed in the prescribed manner on the label of the container and such other standards as may be prescribed.

इसी प्रकार उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये नियम–1945 का नियम 124बी निम्न प्रकार है:–

124-B. Standard for Patent or proprietary medicines.-- The standard for Patent or proprietary medicines shall be those laid down in schedule V and such medicines shall also comply with the standard laid down in the Second Schedule to the Act.

इस सम्बंध में अनुसूची–वी का अवलोकन किया गया जिसमें Standard for Patent or proprietary medicines के सम्बंध में निम्न प्रकार प्रावधान किया गया है:–

1. Patent or proprietary medicines shall comply with the general requirement of the dosage from under which it falls as given in the Indian Pharmacopoeia. .....

2. Without prejudice to the generality of the following paras, dosage forms of Patent or proprietary medicines shall comply with the following requirements, namely :-

(a) ***Tablets***: medicines shall comply with requirements for tablets as laid down in the Indian Pharmacopoeia. The nature of coating shall be indicated on the lable. Permitted colours may, however, ba added and declared on the label. Nature of tablets, such as uncoated, sugar coated or filmcoated, shall also be declared on the lable.

47– इस प्रकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची एवं उक्त नियम के नियम 124बी एवं उक्त नियम की अनुसूची–वी में भारतीय औषधकोष (Indian Pharmacopoeia) में अभिकथित Patent or proprietary

medicines की मानकता को सम्बंधित औषधि के लेबल/कन्टेनर पर दर्शाये जाने सम्बंधी प्रावधान है। इन प्रावधान में ऐसा उल्लेख नहीं है कि परिवादी/औषधि निरीक्षक या राजकीय विश्लेषक उक्त औषधि की जांच एवं विश्लेषण करने से पूर्व निर्माता कम्पनी से कोई तरीका पूछेगें।

48— इसके अलावा यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित औषधि के रेपर का फोटो चित्र पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें निर्माता कं0 द्वारा औषधि में मिलाये गये घटकों (Contents) का उल्लेख है। हमारे विनम्र मत में चूंकि राजकीय विश्लेषक को औषधि में मिलाये गये घटकों (Contents) की ही जांच करनी थी कि आया उक्त घटक उक्त औषधि में है भी या नहीं? ऐसे में राजकोय विश्लेषक द्वारा जांच करने के उपरांत औषधि में मिलाये गये घटक Oxyphenorium Bromide की उपस्थिति नगण्य पायी गयी है व उक्त औषधि को spurious drug पाया गया है जो कि हमारे विनम्र मत में पर्याप्त है। यदि उक्त औषधि के सेम्पल पर औषधि के घटको व मात्रा का उल्लेख नहीं होता व औषधि की टेबलेट पर निर्माता कं0 द्वारा दिया गया कम्पनी नाम ही होता या टेबलेट का जेनेरिक नाम ही होता तो फिर बात अलग होगी। इन हालात में उपरोक्त विवेचन के आधार पर विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये उक्त तर्क में कोई बल एवं सार नहीं है।

49— विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि औषधि निरीक्षक/परिवादी द्वारा राजकीय विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट की फोटो प्रति उपलब्ध करवायी जिसपर निर्माता कं0 ने 28दिनों के अन्दर ही उक्त विश्लेषण रिपोर्ट को चुनौती दी थी परन्तु विश्लेषण रिपोर्ट की मूल प्रति व सेम्पल अधि0 की धारा 23 व 25 के तहत निर्माता कं0 को उपलब्ध नहीं करवाया गया जबकि 28 दिन उसी व्यक्ति पर लागू होते है जिसे मूल प्रति व सेम्पल प्राप्त होता है, एवं

15/12/16

विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि परिवादी ने हस्तगत परिवाद उक्त औषधि की अवसान तिथि के अन्तिम दिनों में प्रस्तुत किया है व अवसान तिथि गुजर जाने के कारण औषधि के सेम्पल की पुनः केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच नहीं हो सकी है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। ऐसे में हस्तगत कार्यवाही विधि विरूद्ध है।

50– इस सम्बंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले में जांच रिपोर्ट एक्जी0पी022 प्राप्त होने पर परिवादी पक्ष ने अभियुक्तगण को नोटिस दिये व जवाब लिये है। इस सम्बंध में निर्माता कं0 को जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर नोटिस एक्जी0पी033 दिया गया जिसका जवाब निर्माता कं0 अभियुक्त सं01 द्वारा एक्जी0पी016 दिया जिसमें पेरा सं02 में जांच रिपोर्ट मों अस्वीकार अवश्यक किया गया है परन्तु इसको चुनौती देते हुए सेम्पल के पुनः केन्द्रीय प्रयोगशालय से जांच करवाये जाने के सम्बंध में तनिक भी जिक नहीं है। इसी पत्र/जवाब एक्जी0पी016 में जांच रिपोर्ट को अस्वीकृत करने के कारण अंकित किये गये है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 25 की उप धारा 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विश्लेषक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर निरीक्षक उस रिपोर्ट एकी प्रति उस व्यक्ति को जिससे नमूना लिया गया है को, दूसरी प्रति ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम पता व अन्य विशिष्ठियां धारा–18ए के अधीन प्रकट की गयी है (निर्माता कं0 जिसका नाम पता अन्य अभियुक्तगण द्वारा अपने जवाब में प्रकट किया गया है) को परिदत्त करेगा और तीसरी प्रति को नमूने के बारे में किसी अभियोजन में उपयोग किये जाने के लिये प्रतिधृत रखेगा। इस प्रावधान में कहीं पर भी मूल प्रति शब्द का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 25 की उप धारा–3 में यह प्रावधान किया गया है कि उपरोक्तानुसार दोनो व्यक्तियों को दी गयी जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के 28 दिन के अन्दर वह जांच रिपोर्ट को चुनौती दे सकता है।

51— जहां तक नमूने के भाग का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 23(4) में इस बाबत् प्रावधान किया गया है कि एक भाग को तुरन्त राजकीय विश्लेषक को विश्लेषण हेतु भेजेगा, दूसरे भाग को वह न्यायालय में पेश करेगा एवं तीसरे को जहां कि वह लिया गया है उस व्यक्ति को भेजेगा। इस मामले में भी औषधि निरीक्षक ने सेम्पल का एक सीलशुदा भाग अभियुक्त सं08 को मौके पर दिया गया है।

इस प्रकार हमारे विनम्र मत में औषधि निरीक्षक द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है।

52— जहां तक राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती दिये जाने का प्रश्न है— सर्वप्रथम बार औषधि निरीक्षक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर दिनांक 20.8.99 को एक पत्र एक्जी0पी033 निर्माता कं0 अभियुक्त सं01 को दिया गया जिसका उसके द्वारा दिनांक 10सितम्बर—99 को जवाब एक्जी0पी016 दिया गया जिसमें उनके द्वारा विवादित औषधि को स्वयं की निर्मित होना व औषधि का शेष स्टॉक नहीं होना व विक्रित औषधि को पुनः रिकॉल करने के तथ्य जाहिर कर अधि0 की धारा 25(2) के प्रावधानों के अनुसार जांच रिपोर्ट से असहमति जतायी गयी है जबकि औषधि निरीक्षक ने उक्त प्रावधान के तहत ही जांच रिपोर्ट की प्रति उनको प्रेषित की थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होने इस जवाब में सेम्पल की पुनः केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच करवाने के सम्बंध में जांच रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं नहीं दी है ना ही जवाब में ऐसा उल्लेख करते हुए कोई कथन किया है।

53— इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि औषधि निरीक्षक ने दिनांक 12.11.99 को अभियुक्त सं01निर्माता कं0 को उनके पत्र 10.9.99 (एक्जी0पी016 जो ए0एस0अरोडा के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित है) के सन्दर्भ में एक पत्र एक्जी0पी017 दिया व उक्त ए0एस0अरोडा की हैसियत की जानकारी व अन्य दस्तावेज चाहे तथा अभियुक्त सं01निर्माता कं0

को यह भी निर्देश इस पत्र एक्जी0पी017 में दिया गया कि–

"If you wish to adduce evidence in controversion of the report under sec.25(3) of the Act, you may do so as per rules and can move, an application U/S.25(4) before Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Jhalawar (Raj)".

जिसके जवाब में अभियुक्त सं01निर्माता कं0 ने पत्र एक्जी0पी015 प्रेषित कर उक्त ए0एस0अरोडा को कम्पनी का भागीदार होना बताया व कम्पनी के दस्तावेजात की प्रतियां व उनके द्वारा उक्त निर्मित औषधि के अपने कन्ट्रोल सेम्पल की टेस्टिंग रिपोर्ट सहित टेस्टिंग रिकोर्ड की प्रतियां प्रेषित की।

परन्तु औषधि निरीक्षक के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार किसी प्रकार का कोई प्रा0पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा किसी प्रकार से जांच रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दी गयी।

54– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवाद पेश हो जाने के उपरांत दिनांक 21.3.2001 को धारा 25(4) के तहत एक प्रा0पत्र प्रस्तुत कर, लिये गये सेम्पल की पुनः केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच करवाने का निवेदन किया गया जो न्यायालय के आदेश दिनांक 13.8.2001 के द्वारा, प्रा0पत्र समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने व इस बीच सेम्पल की अवसान तिथि समाप्त हो जाने के कारण अभियुक्तगण का धारा 25(4) का प्रा0पत्र खारिज किया गया।

55– अतः सेम्पल की पुनः जांच करवाने के सम्बंध में 28 दिनों की विहित अवधि में कार्यवाही नहीं करने के सम्बंध में जो भी व्यतिक्रम किया गया है वह अभियुक्त पक्ष की ओर से किया गया है। परिवादी पक्ष की ओर से इस सम्बंध में अभियुक्त पक्ष को पर्याप्त रूप से एवं उचित प्रकार से अवसर दिया गया था।

अतः विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई सार नहीं है व उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ड्रग्स केसेज 1998 पेज–512 पंजाब एवं

हरियाणा उच्च न्यायालय, 2002 ड्रग्स केसेज 261 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, 2002 ड्रग्स केसेज 262 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, ड्रग्स केसज 1998 पेज–26 बोम्बे उच्च न्यायालय, 2008 ड्रग्स केसेज(डी0सी0) 163 सुप्रीम कोर्ट, ड्रग्स केसेज 1996 पेज–253 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, ड्रग्स केसेज 1977 पेज–20 गुजरात उच्च न्यायालय, 2001 क्रि0ला0जं0 1686 एस0सी0, 2002ड्रग्स केसेज 188पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 2008ड्रग्स केसेज(डी0सी0) 580 राज0 उच्च न्यायालय के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने से बचाव पक्ष के लिये मददगार साबित नहीं होती है।

56– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि औषधि निरीक्षक ने तथाकथित सेम्पल सं0 SCJ/DI/JWR/7-98/33 लिया था व राजकीय विलेषक को भिजवाया था जिसपर राजकीय विश्लेषक ने सेम्पल सं0 SCJ/DI/JWR/7-98/33 की जांच नहीं की बल्कि विश्लेषण रिपोर्ट सं0 CIPL/6008/102dated 31-05-99 द्वारा सेम्पल सं0 SCJ/DI/JWR/97-98/33 की जांच की है। इन हालात में औषधि निरीक्षक द्वारा उक्त लिये गये सेम्पल की जांच रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है।

57– इस सम्बंध में पत्रावली का सूक्ष्मता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में सेम्पल को सेम्पल नं0 SCJ/DI/JWR/7-98/33 दिया जाना अंकित किया है एवं राजकीय विश्लेषक को प्रेषित मेमोरेण्डम फार्म नं019 एक्जी0पी09 में भी सेम्पल नं0 SCJ/DI/JWR/7-98/33 अंकित किया है परन्तु राजकीय विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट एक्जी0पी022 में राजकीय विश्लेषक द्वारा सेम्पल नं0 SCJ/DI/JWR/97-98/33 अंकित कर दिया गया है। चूंकि दोनो नं0 में मात्र 7–98 एवं 97–98 का भेद है परन्तु हमारे विनम्र मत में यह एक लिपिकीय त्रुटि मात्र है तथा टंकित करते समय 7–98 नहीं लिखा जाकर 97–98 टंकित कर दिया गया है जो कि गम्भीर त्रुटि नहीं है। इसकें अलावा

राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद का पत्र दिनांक 31.3.2009 भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके द्वारा उन्होने इस सम्बंध में शुद्धि पत्र भी जारी कर जांच रिपोर्ट दिनांक 31.5.99 (एक्जी0पी022) में अंकित सेम्पल नं0 SCJ/DI/JWR/97-98/33 के स्थान पर सेम्पल नं0 SCJ/DI/JWR/7-98/33 पढ़े जाने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में भी कोई सार नहीं है।

58— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि अभियुक्त सं01 एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके दो पार्टनर है (1)ए0एस0अरोड़ा एवं (2)मैसर्स रेमीडीज फार्मास्यूटिकल्स(इण्डिया)लि0, जबकि अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा अभियुक्त सं01 के पार्टनर नहीं है बल्कि अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा तो केवल मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया)लिमिटेड के डायरेक्टर/ प्रतिनिधि है तथा मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। ऐसे में जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा को विधि विरूद्ध अभियुक्त बनाया गया है। एवं

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि उक्त औषधि निर्माण के समय कम्पनी में कौन व्यक्ति इन्चार्ज थे व औषधि निर्माण के समय जिम्मेदार थे इस विषय में परिवादी ने कोई निरीक्षण नहीं किया है। परिवादी ने परिवाद में भली भांति रूप से यह नहीं बताया कि अभियुक्त सं0 2,3 किस प्रकार से अभियुक्त सं01 के लिये किस प्रकार से जिम्मेदार है। अभियुक्त सं02,3 दिन प्रतिदिन के कार्यो को देखने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है इन हालात में उनके विरूद्ध कोई अपराध का गठन नहीं होता है।

59— इस सम्बंध में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस सम्बंध में अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा ने अपने परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में भी उक्त प्रकार का कथन किया है व

प्रतिरक्षा साक्ष्य में स्वयं को गवाह डी0ड01 के रूप में परीक्षित करवाया गया है व यह कथन किया गया है कि यह कथन किया है कि प्रश्नगत दवाई का निर्माता अभियुक्त संख्या–1मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल का वह भागीदार नहीं है। मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल में दो पार्टनर है जिनमें एक अभियुक्त सं02 ए0एस0अरोड़ा है तथा दूसरा पार्टनर मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल (इण्डिया) लिमिटेड है। वह मैसर्स रेमेडीज़ फार्मास्यूटिकल इण्डिया लिमिटेड का एक डायरेक्टर/प्रतिनिधि है। इस अभियोग में मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल (इण्डिया) लिमिटेड, अभियुक्त नहीं है।

60– परिवाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया)फार्मास्यूटिकल्स, निर्माता कम्पनी है जिसके दो पार्टनर (1) रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड व (2) ए0एस0अरोड़ा भागीदार है।

61– निर्माता कं0 मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया)फार्मास्यूटिकल्स, की पार्टनर फर्म **रेमैडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया)** लिमिटेड है जिसको अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियुक्त सं03 जगमोहन जीतसिंह अरोड़ा उक्त भागीदार फर्म–**रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया)** लिमिटेड के निदेशक है, इस तथ्य को स्वयं अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा ने भी स्वीकार किया है।

62– मामले में अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोडा को, फर्म–मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया)फार्मास्यूटिकल्स, के पार्टनर/निदेशक के रूप में अभियुक्त नहीं बनाया गया है बल्कि उनको निर्माता कं0–मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया)फार्मास्यूटिकल्स, की भागीदार फर्म–**रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड** के **निदेशक** के तौर पर अभियुक्त बनाया गया है।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि कोई भी कम्पनी स्वतः कार्य नहीं करती है ना ही स्वतः चलायमान होती है बल्कि कोई भी कम्पनी अपने भागीदार/निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/रसायनज्ञ आदि के सहारे कार्य

करती है या चलायमान रहती है तथा कम्पनी के कृत्यों के लिये उक्त वर्णित व्यक्तिगत पूर्णतः उत्तरदायी होते है।

64— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि उक्त औषधि निर्माण के समय कम्पनी में कौन व्यक्ति इन्चार्ज थे व औषधि निर्माण के समय जिम्मेदार थे इस विषय में परिवादी ने कोई निरीक्षण नहीं किया है। परिवादी ने परिवाद में भली भांति रूप से यह नहीं बताया कि अभियुक्त सं0 2,3 एवं 9,10 किस प्रकार से अभियुक्त सं01 के लिये किस प्रकार से जिम्मेदार है। अभियुक्त सं02,3, एवं9,10 दिन प्रतिदिन के कार्यो को देखने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है इन हालात में उनके विरूद्ध कोई अपराध का गठन नहीं होता है।

65— इस सम्बंध में साक्षी पी0ड02 विजयकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को नोटिस देकर जवाब व दस्तावेज तलब किये जाने सम्बंधी कथन करते हुए इससे सम्बंधित दस्तावेजात एक्जी0पी016 लगायत पी021 को भी प्रदर्शित करवाया है। इसके अलावा उपरोक्त विवेचन अनुसार सभी अभियुक्तगण की विवादित औषधि के विनिर्माण संग्रहण, वितरण विक्रय के कृत्य से जुड़े हुए है तथा कड़ी से कड़ी मिली है जो तथ्य अभियोजन साक्ष्य, अभियुक्तगण के परीक्षण अन्तर्गत धारा—313द0प्र0सं0 एवं बचाव साक्ष्य में परीक्षित गवाह की साक्ष्य एवं साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से एकदम स्पष्ट रूप से साबित है। इसके अलावा अभियुक्त सं02 ए0एस0 अरोड़ा मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया) फार्मास्युटिकल्स के भागीदार है तथा उक्त कम्पनी की एक अन्य भागीदार फर्म—रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स (इण्डिया) के निदेशक अभियुक्त सं03 जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा है।

66— इसके अलावा अभियुक्त सं09 बी0के0भाटी उक्त निर्माता कं0 के निर्माता रसायनज्ञ व अभियुक्त सं010सत्यवान सिंह यादव निर्माता कं0 के विश्लेषण रसायनज्ञ है जो तथ्य गवाह पी0ड01 रणवीरसिंह(दिनांक9.6.06 को परीक्षित) की साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन

से सन्देह से परे साबित है।

67– इस प्रकार अभियुक्तगण सं0 2,3एवं 9,10 उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त सं01निर्माता कं0 के पार्टनर, अभियुक्त सं01निर्माता कं0 की भागीदार फर्म के निदेशक एवं अभियुक्त सं01निर्माता कं0 के औषधि निर्माण रसायनज्ञ एवं औषधि विश्लेषण रसायनज्ञ है जिनकी देखरेख, निर्देशन व अनुमोदन से उक्त औषधि का निर्माण किया गया है ऐसे में वे यह सफाई नहीं दे सकते कि वे दिन–प्रतिदिन के कार्यो को देखने के लिये जिम्मेदार नहीं है तथा ऐसी स्थिति में अब वे अपने उत्तरदायित्व से उन्मुक्त नहीं हो सकते है। इसके अलावा परिवादी पक्ष ने निर्माता कं0 के भागीदार, निदेशक आदि के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपित अपराध में संलिप्तता साबित की है ऐसे में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर01983सुप्रिम कोर्ट पेज 67(1), ए0आई0आर01998सुप्रिम कोर्ट पेज 2327, ई0एफ0आर0 1990(2) पेज 387 दिल्ली उच्च न्यायालय, 2001 ड्रग्स केसेज 7 बोम्बे उच्च न्यायालय, 2002(1)क्रिमिनल कोर्ट केसजे 375 केरला उच्च न्यायालय, 2002ड्रग्स केसेज (डी सी)389 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में भी कोई सार नहीं है।

68– विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी ने पूर्व में अभियुक्तगण सं01लगायत8 के विरूद्ध परिवाद पेश किया था एवं तत्समय अभियुक्त सं09 बी0के0भाटी एवं अभियुक्त सं010 सत्यवानसिंह यादव को अभियुक्त नहीं बनाया गया था व बाद में धारा 173(8) द0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत पूरक परिवाद पत्र पेश किया गया व अभियुक्त बनाया गया जबकि धारा 173(8) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि इस प्रावधान में केवल पुलिस अधिकारी को अधिकार प्राप्त है।

69— यह सही है कि पूर्व में परिवादी ने अभियुक्त सं01लगायत 8 के विरूद्ध परिवाद पत्र पेश किया था व अभियुक्त सं09 एवं 10 को अभियुक्त नहीं बनाया गया था व बाद में धारा 173(8) द0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत पूरक परिवाद पत्र पेश किया गया व अभियुक्त बनाया गया।

70— इस सम्बंध में मुख्य परिवाद पत्र जो कि दिनांक 12.1.2001 को पेश किया गया है, का अवलोकन किया गया जिसके पेरा सं017—ए में निवेदन किया गया है कि औषधि के निर्माण एवं विश्लेषण रसायनज्ञ के नाम व पते उपलब्ध होते ही श्रीमान्(न्यायालय के पीठासीन अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जावेगें जिनको भी अभियुक्त मानते हुए इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जावे। इस प्रकार प्रकरण में औषधि के निर्माण एवं विश्लेषण रसायनज्ञ के विरूद्ध भी तत्समय प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया जा चुका था जिसपर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया था तत्पश्चात् बाद में उक्त अभियुक्तगण के नाम पते की जानकारी प्राप्त होने पर पूरक परिवाद पेश किया गया है जो अन्तर्गत धारा 173(8)द0प्र0सं0 के तहत पेश किया गया है।

71— जहां तक धारा 173(8)द0प्र0सं0 के प्रावधान का प्रश्न है, तो उक्त प्रावधान का अवलोकन किया गया। इस प्रावधान के तहत कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिलने पर इस सम्बंध में अतिरिक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जहां तक पुलिस अधिकारी को इस सम्बंध में अधिकार होने व परिवादी औषधि निरीक्षक को अधिकार नहीं होने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में पुलिस अधिकारी राज्य सरकार की एजेन्सी का एक जांच/अन्वेषण अधिकारी होता है तथा औषधि निरीक्षक भी राज्य सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति होता है तथा उसे अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के अधिकार प्रदत्त किये जाते है व राजपत्र में इसका प्रकाशन किया जाता है। चूकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत किये गये अपराध के लिये अधिनियम में परिवाद प्रस्तुत

करने का ही प्रावधान किया गया है तथा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने या पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामले का प्रावधान नहीं है तथा अधिनियम में परिवाद प्रस्तुत करने का व प्रस्तुत परिवाद भी परिवाद पर आधारित वारंट ट्रायल मामला होता है ऐसे में यदि अधिनियम के तहत सशक्त अधिकारी/परिवादी को प्रकरण से सम्बंधित अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिलने पर वह इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा अतिरिक्त साक्ष्य या रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान द0प्र0सं0 की धारा 173(8) के तहत ही है तथा किसी भी दाण्डिक कार्यवाही की प्रकियां, दण्ड प्रकियां संहिता में ही दी गयी है। इन हालात में विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

72— विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मूल परिवाद में अभियुक्त सं09 व 10 के नाम हाथ से बड़ाये गये है जो किस व्यक्ति द्वारा किस आदेश के तहत बड़ाये गये है ऐसा तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा किया जाना कूट रचना की श्रेणी में आता है।

73— इस सम्बंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है कि अभियुक्त सं09,10 के विरूद्ध पूरक परिवाद पत्र पेश किये जाने पर उसे न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.4.04 से स्वीकार किया गया व अभियुक्त सं09,10 को तलब किया गया। चूंकि पूर्व में प्रस्तुत परिवाद पत्र में अभियुक्तगण सं0 1लगायत8 के नाम ही शीर्षक में अंकित थे परन्तु बाद में अभियुक्त सं0 9,10 का पूरक परिवाद पत्र पेश होने पर न्यायालय द्वारा उक्तानुसार स्वीकार कर लिये जाने पर न्यायालय के कर्मचारी द्वारा मूल परिवाद के शीर्षक में अभियुक्त सं0 9,10 का अंकन कर लिया जाना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। ऐसा इसलिये किया गया ताकि न्यायिक आदेशों की पालना में सुगमता रहे तथा बार बार पत्रावलियों के पृष्ठों को नहीं पलटना पड़े। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि जब पूरक परिवाद पत्र अभियुक्त सं9,10 के विरूद्ध पेश हो चुका था व उसको न्यायालय की आदेशिक दिनांक 21.4.04 से स्वीकार

15/12/16

भी कर लिया गया था ऐसे में अभियुक्त सं0 9,10 न्यायालय में अभियुक्त के रूप में मामले में संयोजित हो चुके थे तथा ऐसा तथ्य नहीं है कि उनके विरूद्ध कोई पूरक परिवाद पत्र पेश हीं नहीं हुआ हो व उनका नाम मूल परिवाद में अंकित कर दिया गया हो। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता का तर्क अशोभनीय है तथा उनके द्वारा कूट रचना किये जाने का तर्क प्रस्तुत कर एक प्रकार से न्यायालय पर ही आक्षेप लगाया है जो निंदनीय है जिसकी निदां एवं सम्यक भर्त्सना की जाती है।

74— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त सं09 एवं 10 को बाद में अभियुक्त के रूप में संयोजित किया गया है, वे पूर्व में बतोर अभियुक्त नहीं थे तथा उनको विवादित औषधि की पुनः जांच का अधिकार नहीं मिला है ऐसे में उनके संवैधानिक अधिकार का हनन होने से उनके विरूद्ध हस्तगत कार्यवाही प्रभावहीन व शून्य है।

75— विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर मनन किया गया। यह सही है कि अभियुक्त सं09,10 के विरूद्ध बाद में दिनांक 15.6.02 को पूरक परिवाद पत्र पेश हुआ है जो दिनांक 21.4.04 को मूल परिवाद के साथ संलग्न किया गया है। परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वे अभियुक्त सं01निर्माता कं0 के अधीन कार्यरत थे तथा अभियुक्त सं01लगायत8 के विरूद्ध पूर्व में मूल परिवाद पत्र पेश हो चुका था तथा सेम्पल की पुनः जांच करने के सम्बंध में अभियुक्त सं01निर्माता कं0 व अन्य को पूर्व में सेम्पल की पुनः जांच के सम्बंध में पर्याप्त अवसर मिला है जिसके सम्बंध में निर्णय में उपरोक्तानुसार विस्तृत विवेचन किया गया है। अभियुक्त सं09,10 के इस सम्बंध में जो संवैधानिक अधिकार थे वे भी अन्य अभियुक्त सं01निर्माता कं0 में निहित थे। अतः विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं।

76— राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट में सेम्पल को –"The Sample is spurious in that it gives negative test for oxyphenorium bromide"– के चलते अवमानक पाया गया है। इससे यह भलिभांति

15/12/16
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
आलाबाद (रबूज.)

स्पष्ट हो जाता है कि उक्त औषधि DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 17B(d) के तहत spurious drug व धारा 16(a) के तहत Not of standard quality की परिभाषा में भी आती है। अभियुक्तगण ने उक्त औषधि का विनिर्माण, संग्रहण वितरण व विक्रय किया जो कि उक्त अधि0 की धारा 18a(i), 18(a)(vi)का उल्लंघन होकर उक्त अधि0 की धारा 27(c) एवं 27(d) के तहत दण्डनीय है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है इन हालात में अभियुक्तगण को उक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

परिणामतः अभियुक्तगण (1)मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II, देहली–110042–**जरिये रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स(इण्डिया) लिमिटेड,** दिल्ली के निदेशक श्री जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा पुत्र ए0एस0अरोड़ा, निवासी–एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034, (2)ए0एस0 अरोड़ा पुत्र आत्तारसिंह अरोड़ा, **भागीदार,** फर्म मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II, देहली–110042, निवास पता–एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034, (3)जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा पुत्र ए0एस0अरोड़ा, **निदेशक,** मैं0रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स(इण्डिया) लिमिटेड, रजि0कार्यालय–बी–4, अराधना भवन, आजादपुर कानर्शिलय कॉम्पलेक्स, दिल्ली–110034, जो कि मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II,देहली की **भागीदार फर्म** है, निवास पता–एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034, (4)जय अम्बे मेडीकल्स, शॉप नं05,

15/12/16

पोरवाल कटला, लाडपुरा कोटा(राज0)—**जरिये रमेश कुमार पावा, भागीदार मैं0 जय अम्बे मेडीकल्स, कोटा,** (5)रमेशकुमार पावा पुत्र टिक्कूराम पावा, **भागीदार,** मैं0जय अम्बे मेडीकल्स कोटा, निवास पता— 4—न—8, विज्ञान नगर कोटा(राज0), (6)गिरधारीलाल गुरूनानी पुत्र टिकमदास गुरूनानी, **भागीदार,** मैं0जय अम्बे मेडीकल्स कोटा, निवास पता— 3—क—5, विज्ञान नगर कोटा(राज0), (7)बी0के0 भाटी पुत्र बी0एल0भाटी निवासी— सी.बी.36—डी— शालीमार बाग, नई दिल्ली—52 (पूरक परिवाद—पत्र के अनुसार अभियुक्त सं01निर्माता कं0 द्वारा निर्मित औषधि के मेन्यूफेक्चरी केमिस्ट), (8)सत्यवानसिंह यादव पुत्र सुखन एस.यादव, निवासी— 75बी, टीचर कॉलोनी समाईपुर बादली, दिल्ली—42(पूरक परिवाद—पत्र के अनुसार अभियुक्त सं01निर्माता कं0 द्व ारा निर्मित औषधि के विश्लेषक केमिस्ट) को DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 18a(i), 18(a)(vi) सपठित धारा 27(c)एवं 27(d) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

15/1/16

(पवनकुमार वर्मा)
अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़(राज0)।

दण्डादेश

दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा अवमानक एवं Spurious drug का विनिर्माण संग्रहण, वितरण एवं विक्रय किया है तथा आम जन के स्वास्थय के साथ खिलवाड़ किया गया है ऐसे में अभियुक्तगण के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को विधि द्वारा विहित कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

2– जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धी का तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है। औषधि के उपयोग से किसी को कोई खतरा एवं दुखान्तिका नहीं हुई है। इन हालात में अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अख्तियार किया जावे।

3– हमने उभय पक्ष के तर्को पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख का फिर से एक बार सावधानीपूर्वक परीशीलन किया।

4– यह सही है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धी का तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है। औषधि के उपयोग से किसी को कोई खतरा एवं दुखान्तिका नहीं हुई है।

परन्तु अभियुक्तगण द्वारा अवमानक एवं Spurious drug का विनिर्माण, संग्रहण वितरण कर विक्रय किया गया है एवं आम जन के स्वास्थय के साथ खिलवाड़ किया गया है। आम जन विश्वास करते हुए औषधि को उपचार हेतु खरीदते है ऐसे में उनके साथ विश्वासघात भी हुआ है इन हालात में अभियुक्तगण के प्रति नरमी बरते जाने से समाज में गलत संदेश जायेगा व मिलावटी दवाईयों के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति/अपराधियों के हौसले बुलन्द होगें इन हालात में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्याय के उददेश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक हो जाता है।

5– अभियुक्तगण (1)मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II, देहली–110042–जरिये पार्टनर फार्म रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स(इण्डिया) लिमिटेड, दिल्ली (2)जय अम्बे मेडीकल्स, शॉप नं05, पोरवाल कटला, लाडपुरा कोटा(राज0)–जरिये रमेश कुमार पावा, भागीदार मैं0 जय अम्बे मेडीकल्स, कोटा, जो कि एक फर्म/कम्पनी है, प्रत्येक को DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 27(c) एवं 27(d) के अपराध में क्रमशः

15/12/16

20,000–20,000/–रूपये (इस प्रकार प्रत्येक अभियुक्त पर 40,000/–रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

6– अभियुक्तगण (1)ए0एस0 अरोड़ा पुत्र आत्तारसिंह अरोड़ा, **भागीदार**, फर्म मैसर्स रेमेडीज(इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II, देहली– 110042, निवास पता–एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034, (2)जगमोहन जीत सिंह अरोड़ा पुत्र ए0एस0अरोड़ा, **निदेशक**, मैं0रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, रजि0कार्यालय–बी–4, अराधना भवन, आजादपुर कामर्शिलय कॉम्पलेक्स, दिल्ली–110034, जो कि मैसर्स रेमेडीज (इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, 34,बादली इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–II,देहली की **भागीदार फर्म** है, निवास पता–एफ0आई0यू0–159,पीतमपुरा, दिल्ली–110034,(3)रमेशकुमार पावा पुत्र टिक्कूराम पावा, **भागीदार**, मैं0जय अम्बे मेडीकल्स कोटा, निवास पता– 4–न–8, विज्ञान नगर कोटा(राज0), (4)गिरधारीलाल गुरूनानी पुत्र टिकमदास गुरूनानी, **भागीदार**, मैं0जय अम्बे मेडीकल्स कोटा, निवास पता– 3–क–5, विज्ञान नगर कोटा(राज0), (5)बी0के0 भाटी पुत्र बी0एल0भाटी निवासी–सी.बी. 36–डी–शालीमार बाग, नई दिल्ली–52 (अभियुक्त सं01निर्माता कं0 के मेन्यूफेक्चरी केमिस्ट), (6)सत्यवानसिंह यादव पुत्र सुखन एस.यादव, निवासी– 75बी, टीचर कॉलोनी समाईपुर बादली, दिल्ली–42(अभियुक्त सं01निर्माता कं0 के विश्लेषक केमिस्ट) को **प्रत्येक को** DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 27(c) के अपराध में 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

15/12/16
न्यायाधीश
न्यायिक मजिस्ट्रेट

अभियुक्तगण (1)ए0एस0अरोड़ा(2)जगमोहनजीतसिंह अरोड़ा (3)रमेशकुमार पावा (4)गिरधारीलाल गुरूनानी (5)बी0के0भाटी

(6)सत्यवानसिंह यादव प्रत्येक को DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 27(d) के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

8— अभियुक्तगण की सभी मूल सजाऐं साथ--साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को द0प्र0सं0 की धारा 428 के तहत मूल सजा में समायोजित किया जावे।

9— प्रकरण में अभियुक्त सं07 के मालिक अभियुक्त सं08 मोहम्मद हुसैन दिनांक 27.6.2014 को फौत हो चुका है जिसकी फौती तस्दीक प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.6.2016 को कार्यवाही समाप्त (Drop) की जा चुकी है, चूंकि अभियुक्त सं07 मैसर्स एच0बी0 मेडीकल स्टोर एक संस्थान है जो प्रकरण में अपने मालिक अभियुक्त सं08 मोहम्मद हुसैन के जरिये अन्वीक्षारत थी, चूंकि अभियुक्त सं08 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त (Drop) की जा चुकी है ऐसे में अभियुक्त सं07 मैसर्स एच0बी0 मेडीकल स्टोर के विरूद्ध भी कार्यवाही समाप्त (Drop) की जाती है।

10— प्रकरण में लिये गये शेष सेम्पलों को बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित कर दिया जावे।

15/12/16
(पवनकुमार वर्मा)
अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़(राज0)

झालावाड़

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2016 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

15/12/16
(पवनकुमार वर्मा)
अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)